

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास चन्दौली।

पत्रांक /जि0का0अधि0/बा0वि0परि0/विज्ञप्ति/2025-26

दिनांक 12-11-2025

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या- /2025 /3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 मे वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद चन्दौली के ग्रामीण/शहरी परिक्षेत्र मे संचालित बाल विकास परियोजनाओं मे आंगनबाडी कार्यकर्त्री/आंगनबाडी सहायिकाओं के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाईट <http://upanganwadibharti.in> पर आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत है।

आंगनबाडी कार्यकर्त्री पद के रिक्तियों का विवरण-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	ग्रामीण/शहरी	आंगनबाडी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों का विवरण
1	सदर	ग्रामीण	1
2	नियामताबाद	ग्रामीण	2
3	चकिया	1ग्रामीण/3 शहरी	4
4	चहनियां	ग्रामीण	1
5	बरहनी	शहरी	2
	योग:-		10

आंगनबाडी सहायिका पद के रिक्तियों का विवरण-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	ग्रामीण/शहरी	आंगनबाडी सहायिका पद के रिक्त पदों का विवरण
1	सकलडीहा	ग्रामीण	119
2	चकिया	89 ग्रामीण/18 शहरी	107
3	नौगढ	ग्रामीण	22
4	सदर	ग्रामीण	42
5	बरहनी	ग्रामीण	36
6	शहाबगंज	ग्रामीण	43
7	चहनियां	ग्रामीण	53
8	धानापुर	ग्रामीण	47
9	नियामताबाद	ग्रामीण	49
10	नगर	शहरी	10
	योग:-		528

(नोट:-उपरोक्त तालिका मे वर्णित रिक्त पदों की संख्या विभागीय स्थिति के आधार पर घट-बढ/परिवर्तित हो सकती है।)

उपरोक्त पदों का परियोजनावार/ग्राम पंचायतवार/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गयी है, साथ ही विभागीय वेबसाईट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

1. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।
2. आंगनबाडी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के रिक्त पदों हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
3. आवेदिका को रिक्त पद के ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) की स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
4. ग्राम सभा में विज्ञापित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत की पात्र अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।



5. आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ तिथि (01 जुलाई, 2025) को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी।
6. ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका के पद पर चयन में उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला को चयन में वरीयता प्रदान किया जायेगा। विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
7. तलाकशुदा/परित्यक्ता के संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होगा।
8. आय प्रमाण पत्र के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1-9-11-राज0-9 दिनांक 30.09.2011 के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाईन सत्यापन संभव हो। गरीबी रेखा के आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के संबंध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26-2-2015 दिनांक 14 सितम्बर, 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
9. निवास व जाति प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो।
10. विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र पर निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र मान्य/स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।
11. त्रुटीपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता, आरक्षण एवं आवेदन करने की प्रक्रिया विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, जी0टी0 रोड बिछियाकला, चन्दौली अथवा विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय से कार्यदिवस में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
13. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 03.12.2025 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।

(राजकपूर)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
बाल विकास-चन्दौली।

पृष्ठांकन पत्रसं0 ९-1224 /तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा मे सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उ0 प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, चन्दौली।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चन्दौली।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, चन्दौली।
5. समस्त तहसीलदार, चन्दौली
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, चन्दौली।
7. जिला सूचना अधिकारी, चन्दौली को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को जनपद में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले किन्हीं दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, जनपद चन्दौली को इस निर्देश के साथ कि पूर्व निर्धारित स्थलों पर विज्ञप्ति को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए उसकी फोटो पत्रावली में रक्षित करना सुनिश्चित करें।

12/11/25
जिला कार्यक्रम अधिकारी
बाल विकास-चन्दौली।

